

संचालनालय
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मध्यप्रदेश
जे.पी. जिला चिकित्सालय परिसर भोपाल
आदेश

क्रमांक-सी-6/एम.आर./मान्यता/सेल-1/25/874

भोपाल, दिनांक: 17/12/2025

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग, म.प्र.।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, म.प्र.।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, म.प्र.।
5. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
6. समस्त कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।
7. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।

विषय:- शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु "मनोनीत सूचीबद्ध अस्पताल" (Deemed Empanelled Hospital) विषयक।

संदर्भ:- 1. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2022
2. मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 485/0198/2022/17/मेडि-3 भोपाल दिनांक 01/05/2025

विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के जांच/उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 03 अगस्त 2022 में अधिसूचना उपरान्त **मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022** प्रवृत्त की गई है।

राज्य शासन, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 के अंतर्गत राज्य के भीतर निजी चिकित्सालयों के सूचीबद्धकरण हेतु विहीत राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16/12/2024 में लिए गए निर्णय, संदर्भित आदेश क्र. 2 तथा National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH Certificate) की वैधता को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदेश के निम्न निजी अस्पतालों को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों का सी.जी.एच.एस. (CGHS) भोपाल के पैकेज दर अनुरूप जांच/उपचार हेतु "मनोनीत सूचीबद्ध अस्पताल" (Deemed Empanelled Hospital) के रूप में एतद् सूचीबद्ध करती है:-

क्र.	रजिस्ट्रेशन क्र. जिला	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार जिसके लिए अस्पताल को सूचीबद्ध किया गया	आयुष्मान आदेश	अधिमान्यता की अवधि
BHOPAL					
1	HOSP23P135720	ZINDAL HOSPITAL	1. General Medicine 2. General Surgery (Including Laparoscopic Surgery) 3. Plastic & reconstructive Surgery 4. Paediatrics 5. Paediatric surgery 6. Surgical Oncology 7. Obstetrics & Gynaecology (Including HRP)	NO./CEO/AB/20 25/776 30/01/2025	March 2027

क्र.	रजिस्ट्रेशन क्र. जिला	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार जिसके लिए अस्पताल को सूचीबद्ध किया गया	आयुष्मान आदेश	अधिमान्यता की अवधि
			8. Orthopaedics (Including Joint Replacement) 9. Urology 10. Neurosurgery		
RAJGARH					
2	HOSP23P136243	SANJEEVANI HOSPITAL	1. General Medicine 2. Orthopaedics (Including Joint Replacement)	NO/SHA/AB/202 5/6604 BHOPAL DATED 10/10/2025	January 2026
CHHINDWARA					
3	HOSP23P143305	VIVANTA CRITICAL CARE HOSPITAL	1. Cardiology Including Interventional Cardiology 2. General Medicine	No/CEO/AB2023 2301-02 dated Bhopal 22-12- 2023	December 2028
RALAM					
4	HOSP23P114448	GD HOSPITAL	1. General Medicine 2. General Surgery (Including Laparoscopic Surgery) 3. Obstetrics & Gynaecology (Excluding HRP) 4. Orthopaedics (Including Joint Replacement) 5. Urology	S.No/CEO/AB/20 23/5885 Date 22- 03-2023	June 2026
JABALPUR					
5	HOSP23P123821	GALAXY SUPER SPECIALITY HOSPITAL JABALPUR	1. Paediatrics 2. General Surgery (Including Laparoscopic Surgery) 3. Cardiology (Interventional) 4. Cardio-thoracic & Vascular Surgery 5. Otorhinolaryngology 6. Obstetrics & Gynaecology (Including HRP) 7. Orthopaedics (Including Joint Replacement) 8. Neurosurgery	NO/SHA/AB/202 4/2007 BHOPAL DATED 20/06/2024	May 2027
NARSINGHPUR					
6	HOSP23P143853	LAXMI NARAYAN MEMORIAL HOSPITAL	1. General Medicine 2. Paediatrics 3. Cardiology Including Interventional Cardiology 4. Obstetrics & Gynaecology 5. Orthopaedics Surgery	NO/CFO/AR/202 2/2342 Dated Bhopal 25-08- 2022	October 2028

उपरोक्त अधिमान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी -

1. राज्य के भीतर सूचीबद्ध किए गए निजी अस्पतालों द्वारा एम्पैनलमेन्ट उपरान्त, रिसेशन काउंटर पर शासकीय कर्मचारियों के संज्ञान हेतु सूचीबद्ध किए गए Scope of Services (जांच/उपचार जिसके लिए अस्पताल को सूचीबद्ध किया गया) एवं मान्यता की वैधता को प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
2. शासकीय कर्मचारियों द्वारा अग्रिम हेतु चिकित्सकीय उपचार का एस्टिमेट मांगे जाने पर सूचीबद्ध निजी अस्पताल द्वारा सी.जी.एच.एस. भोपाल के प्रचलित दर अनुरूप निर्धारित पैकेज को दृष्टिगत रखते हुए ही प्राक्कलन दिया जाना होगा।
3. राज्य के भीतर सूचीबद्ध अस्पतालों में शासकीय कर्मचारी/उनके आश्रितों के उपचार हेतु पहचान स्थापित करने हेतु शासकीय विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड एवं परिवार समग्र आई.डी. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. सी.जी.एच.एस. पैकेज दर सेमी प्राइवेट वॉर्ड हेतु निर्धारित है। रोगी के जनरल वॉर्ड में भर्ती होने पर प्रतिपूर्ति योग्य राशि निर्धारित पैकेज दर से 10% कम एवं प्राइवेट वॉर्ड में भर्ती होने पर 15% अधिक होगी।
5. सी.जी.एच.एस. पैकेज दर अंतर्गत निम्न शुल्क समाविष्ट हैं (MoHFW OM F no. 2-1/2012/CGHS /VC/CGHS (P) – Clarification regarding admissible & non-admissible items under CGHS, dated 1st Aug. 2013): -

i. Registration charges ii. Admission charges iii. Accommodation charges including patient's diet iv. Operation charges v. Injection charges vi. Dressing charges vii. Doctor/Consultant charges viii. ICU/CCU charges ix. Monitoring charges	x. Transfusion charges xi. Anaesthesia charges xii. Operation theatre charges xiii. Procedural charges/surgeon's fees xiv. Cost of surgical disposables and all sundries used during hospitalization xv. Cost of medicines xvi. Related routine and essential investigations xvii. Physiotherapy charges etc. - xviii. Nursing care and charges for its services
---	--
6. आंतरिक रोगी के उपचार के दौरान, सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा शासकीय कर्मचारियों/उनके आश्रितों के पृथक से औषधियां/उपकरण/भिन्न-भिन्न सामग्री अथवा साधन (Medicines/Equipment /Sundries/ Accessories) का क्रय नहीं कराया जाएगा एवं सी.जी.एच.एस. दरों पर ही उपचार किया जाएगा जिसमें समस्त औषधियां/सामग्रियों का शुल्क समाविष्ट है।
7. उपरोक्त को दृष्टि रखते हुए राज्य के भीतर सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा शासकीय कर्मचारियों/उनके आश्रितों के उपचार उपरान्त Invoice Summary, शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जिसमें पैकेज कोड/कोड्स का स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा।
8. डायलिसिस उपरान्त राज्य के भीतर सूचीबद्ध निजी अस्पताल द्वारा 1 दिवसीय डे-केयर (1 day for Day Care) हेतु अभिप्राणित देयक के प्रस्तुति पर सी.जी.एच.एस. भोपाल में विभिन्न प्रकार के डायलिसिस (Peritoneal Dialysis, Haemodialysis, CAPD etc.) हेतु निर्धारित पैकेज दर अनुसार प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।
9. शासन द्वारा वांछित जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों के उपचार हेतु निर्धारित सी.जी.एच.एस. भोपाल के पैकेज दर से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा प्रदायित स्वास्थ्य सुविधाएं उपयुक्त/मानक स्तर का न पाए जाने पर अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर, यह अधिमान्यता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

10. Cardiothoracic Surgery हेतु Cath Lab, Intensive Coronary Care Unit (ICCU), OT for Interventional Surgery/Procedures की व्यवस्था निजी अस्पताल के भवन अथवा परिसर में आवश्यक रूप से होना तथा शल्यक्रिया पश्चात् रोगी के आवश्यक देखभाल हेतु पूर्णकालिक विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता होना अनिवार्य है।
11. बड़ी शल्य क्रिया जैसे ओपन हार्ट सर्जरी इकाई हेतु निजी चिकित्सालय में स्वयं का ब्लड बैंक होना अनिवार्य है।
12. यह अधिमाम्यता मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना क्र. 442, दिनांक 03 अगस्त 2022 के स्थापित प्रावधानों के तारतम्य में जारी की गई है एवं इस परिपत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुपालन में अध्याधीन रहेगी।

Digitally signed by
Tarun Rathi
Date: 15-12-2025
21:07:53

(तरुण राठी)

आयुक्त

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा म.प्र.

भोपाल, दिनांक: 17/12/2025

क्रमांक-सी-6/एम.आर./मान्यता/सेल-1/25/875

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (ऑडिट) - 1/2 ग्वालियर, म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
4. संचालक, विनियमन एवं नीति, म.प्र.।
5. संचालक चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.।
6. वरि. संयुक्त संचालक, विनियमन एवं नीति, म.प्र.।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
8. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
9. लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।
10. संचालक, निजी चिकित्सालय।
11. आई.टी. शाखा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र. की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
12. गार्ड फाईल।

आयुक्त

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा म.प्र.